REVIEW OF RESEARCH

"किशोरियों को सशक्तिकरण एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता"

वेदांगी भट्ट[1] , डॉ. डी. एस. गड़िया[2]

[1]शोधार्थिनी (शिक्षाशास्त्र) शिक्षा–विभाग, हिमगिरी ज़ी विश्वविद्यालय, देहरादून.
[2]ऐसोसिऐट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष , शिक्षा–विभाग, हिमगिरी ज़ी विश्वविद्यालय, देहरादून.

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 8 | MAY - 2019

सार

किशोरावस्था किसी भी बालिका/महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में किशोरियों को अनेक परिवर्तनों का सामना करना पड़ता हैं, ये परिवर्तन शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक क्षेत्रों में होते है। कभी–कभी किशोरियां अकस्मात समस्त क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों से काफी कष्ट अनुभव करती हैं, जिससे उन्हें समायोजन करने में कठिनाई अनुभव होती हैं। जिसके कारण उनमें असामान्यता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं अतः यह अवस्था कभी–कभी समस्यात्मक बन जाती है। किशोरियों के लिए यह एक निर्णायक उम्र मानी जाती हैं। बालिकाओं को किशोरावस्था में जो कुछ भी अनुभव होता है, वह उनकें जीवन और परिवार को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सशक्तिकरण किसी भी व्यक्ति की वह क्षमता है जिससे उसमे ये योग्यता आ जाती है कि वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। सशक्तिकरण के सपने को सच करने के लिए लड़कियों की आवश्यकता और उनकी शिक्षा को प्रचारित करने की जरूरत है। भारत के संविधान में लिखे गये समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है। बालिकाओं को सुदृढ, निडर आत्मनिर्भर बनने और अपनी समस्याओं के समाधान हेतू उचित परामर्श की आवश्यकता होती है, क्योकि सही परामर्श द्वारा ही किशोरियां सशक्त होती है और जब महिला सशक्त होगी तो देश सशक्त होगा।

शब्द कुंजी :– किशोरियां, सशक्तिकरण, परामर्श, आवश्यकता, समस्याएं।

प्रस्तावना :–

किशोरावस्था के प्रारम्भ होने से लेकर पूर्ण होने तक किशोरियों के तन–मन तथा व्यवहार में ऐसे परिवर्तन आते है, जो सम्पूर्ण जीवन को देखते हुए अत्यन्त महत्वपूर्ण होते है। यह अवस्था 13 से 18 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालिकाओं में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है जिस कारण वह समझ नहीं पाती है कि वास्तव में उनके साथ क्या घटित हो रहा है। इस अवस्था में बाल्यावस्था का विकास समाप्त हो जाता है और परिवर्तन की क्रान्तिकारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रायः विकास असामान्य रूप से होता है, किशोरावस्था में सभी किशोरियों में भिन्न–भिन्न समय तथा आयु में परिवर्तन एवं विकास असमान रूप से प्रारम्भ होता है।

स्टेन्ले हॉल के अनुसार **(1904)** :–"किशोरावस्था संर्घष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है।" अनेक परिवर्तनों व विकास की तीव्रता के कारण ही हॉल ने इस अवस्था को तूफान व दबाव का काल कहा है। इस अवस्था में अस्थिरता, सांवेगिकता व अनिश्चितता का बाहुल्य पाया जाता है जिसके कारण उनमें असामान्यता के लक्षण प्रकट होने लगते है अतः यह अवस्था कभी–कभी समस्यात्मक बन जाती है। किशोरियों के लिए

यह एक निर्णायक उम्र मानी जाती है। बालिकाओं को किशोरावस्था में जो कुछ भी अनुभव होता है, वह उनके जीवन और परिवार को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

"Women & Girls should be able to determine their own future, no matter where they're born."

-Melinda Gates

किशोरियां अपना भविष्य स्वयं निर्धारित करती है, इससे कोई फर्क नही पड़ता है कि वह कौन है, क्या है, कहां से है, उन्हें केवल सही दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। हमारे समाज में लड़कियों के जीवन में किशोरावस्था के दौरान ऐसे पड़ाव आते है, जहां तरह–तरह के जोखिम का सामना भी करना पड़ता है। जिनमें स्कूल छोड़ना, बाल–विवाह, अशिक्षा, यौन शोषण, बाल मजदूरी, दहेज प्रथा, मानव तस्करी, लैंगिक भेदभाव और समय से पहले गर्भधारण करने जैसी समस्याएं शामिल है, जो राष्ट्र को पीछे की ओर धकेलता है। इसका प्रमुख कारण शिक्षा व जानकारी का अभाव, जागरूकता का अभाव, स्वतंत्र निर्णय लेने में अक्षम आदि है।

आज हमारा देश शिक्षित है परन्तु फिर भी कई ऐसी कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त है, जिनकों शिक्षित लोगों द्वारा भी अपनाया जाता है, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या लैंगिग असमानता को जन्म देती है। लड़के की चाह में लोग गर्भपात करा देते है। शिक्षित होने के बावजूद भी समाज जागरूक नही है। आज किशोरियां हर क्षेत्र में कार्यरत हैं चाहे वह ऑफिस, बैंक, सिनेमा जगत, खेल–कूद, राजनीति आदि ही क्यों न हो। किशोरियों के सशक्तिकरण और समस्याओं के समाधान के लिए **24 जनवरी** को **राष्ट्रीय बालिका दिवस** के रूप में मनाया जाता है। इस दिन **श्रीमती इंदिरा गांधी** प्रथम बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी जिन्हे **नारी भाक्ति** के रूप में याद किया जाता है। इसीलिए इस दिन को बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया।

किशोरियों को सशक्तिकरण की आवश्यकता :–

क्या है सशक्तिकरण ? आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि सशक्तिकरण किसी भी व्यक्ति की वह क्षमता है जिससे उसमे यह योग्यता आ जाती है कि वह अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। 8 मार्च को पूरे विश्व में **अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस** मनाते है, सही मायने में इस दिन का उद्देश्य क्या है ? ये आज के समाज के लिए जानना आवश्यक है कि अपनी निजी स्वतंत्रता और स्वयं के फैसले लेने के लिए महिलाओं को अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है। महिलाओं को स्वच्छ और उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता है जिससे कि वह हर क्षेत्र में अपना खुद का फैसला ले सकें चाहे वो स्वयं, देश, परिवार या समाज किसी के लिए भी हो। देश को पूरी तरह से विकसित बनाने तथा विकास के लक्ष्य को पाने के लिए एक जरूरी हथियार के रूप में है महिला सशक्तिकरण।

भारत प्राचीन समय से ही अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, परम्परा, सांस्कृतिक विरासत और भौगोलिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। भारत में एक तरफ महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है वहीं दूसरी ओर समाज व परिवार द्वारा उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया जाता है। उन्हें घरों की चारदीवारी तक सीमित रखा जाता है, केवल घरेलू कार्यो के योग्य ही समझा जाता है और अपने अधिकारों व विकास से बिल्कुल अनभिज्ञ रखा जाता है और वह चुपचाप सब सहन करती है। प्राचीन काल से ही समाज में पुत्रियों की अपेक्षा पुत्रों को अधिक महत्व दिया जाता था। इसका मुख्य कारण यह था कि पुत्रियां उनका वंश आगे नही बढ़ा सकती है, विवाह में अधिक खर्च वहन करना पडेगा आदि। इसके विपरीत पुत्रों में कम खर्चा होगा और वह उनके वंश को आगे बढ़ायेगा। कहने का तात्पर्य है कि लैंगिक समानता नही थी, किशोरियां की शिक्षा पूरी नही करायी जाती थी जिस कारण वे शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई थी और स्वयं निर्णय लेने में अक्षम थी, स्वतंत्रता व जागरूकता का अभाव था। अभिभावकों द्वारा लिया गया फैसला उनके लिए मान्य होता था। वर्तमान समय में लैंगिक असमानता में कमी तो आयी है परन्तु पूर्ण रूप से समाप्त नही हुई है। जो सशक्तिकरण में बाधा का कार्य करती है।

किशोरियों को परामर्श की आवश्यकता :—

परामर्श एक ऐसी सेवा है जिसका उद्देश्य भिन्न—भिन्न आयु के लोगों की समस्याओं के समाधान में सहायता देना है। इस प्रकार एक समस्याग्रस्त व्यक्ति परामर्शदाता के सामने बैठकर अपनी समस्याओं को उसकी सहायता से स्वयं सुलझाने का प्रयास करता है। वैसे तो परामर्श की आवश्यकता सभी को होती है परन्तु किशोरावस्था में किशोरियों को इसकी विशेष रूप से आवश्यकता होती है।

किशोरावस्था में बालिकाओं में इस प्रकार के परिवर्तनों के कारण उनके सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो उनमें मानसिक रोग उत्पन्न हो जाता है और उनका व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। यह अवस्था बनने—बिगड़ने की अवस्था होती है अतः इस अवस्था में उचित परामर्श की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था की अन्य समस्याएं भी होती है जैसे—पढ़ाई में मन न लगना, उचित विषय का चुनाव, किसी विषय को समझने में कठिनाई होना, व्यवसाय के चयन में कठिनाई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसी अवस्था के दौरान किशोरियों में मासिक धर्म होता है जिस कारण उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है, वे कुछ भी समझने में असमर्थ होती है कि उनके साथ क्या और क्यों हो रहा है। इसके अतिरिक्त कई बार किशोरियां के साथ कोई गम्भीर अपराध/हादसा हो जाता है या किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति का शिकार हो जाती तब वह तनाव व अवसाद से ग्रसित हो जाती है। उस समय उन्हें एक सही परामर्शदाता की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, जो किशोरियों की समस्याओं का समाधान करके उनका सही मार्गदर्शन कर सकें।

किशोरियों की समस्याएं :—

किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों व विकास के कारण उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व ही परिवर्तित हो जाता है। किशोरियों की कुछ समस्याएं कुदरती और कुछ सामाजिक होती है। उनके वास्तविक जीवन से सम्बन्धित समस्याएं निम्नलिखित है —

- किशोरियों में शारीरिक रूप से बदलाव होता है। वे यौवन की अवस्था में आ जाती है और उन्हें मासिक धर्म शुरू हो जाता है। इस कारण उनमें एक प्रकार का अन्तर्द्वन्द्व उत्पन्न होता है जिससे वे उदास एवं चिंतित रहती है। इन परिवर्तनों से किशोरियां पूर्व परिचित नहीं रहती है जो एक प्रकार की समस्या है।
- किशोरावस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है जिससे मानसिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। आशा, निराशा, विरोधी, सहयोगी भावनाएं आदि बालिकाओं में अन्तर्द्वन्द्व उत्पन्न करती है।
- आर्थिक रूप से कमजोर किशोरियां कुपोषण का शिकार हो जाती है। यदि उन्हें उचित पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है तो उनका विकास अवरूद्ध हो जाता है।
- किशोरावस्था के दौरान बालिकाएं यौवन के दहलीज में होती है। किशोरियों को किशोरों की अपेक्षा अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे—जैसे आयु वृद्धि होती है लड़कों की समस्याएं घटती है और लड़कियों की बढ़ती है।
- आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों को अधूरी शिक्षा दी जाती है और उनका विवाह कर दिया जाता है। उन्हें सिर्फ घरेलू काम के लायक समझा जाता है।
- किशोरियों को परिवार व समाज द्वारा कई पाबन्दियां लगाई जाती है जैसे—यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत खाओ, ये मत पहनो आदि। कहने का तात्पर्य है कि किशोरियों के लिए स्वतन्त्रता का अभाव है। आज भी अधिकांश लड़कियां अपने निर्णय लेने में अक्षम है।
- हमारे समाज में लैंगिग असमानता काफी हद तक पायी जाती है। लड़को व लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। जिस कारण लड़कियों में हीन भावना उत्पन्न होती है।
- देश में बढ़ते हुये अपराधों जैसे—अपहरण, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, शारीरिक व मानसिक शोषण, हत्या, मानव तश्करी, वेश्यावृति आदि के कारण महिलाएं अपने को असुरक्षित समझती है।

शिक्षक तथा अभिभावक की भूमिका :–

शिक्षक तथा अभिभावक बच्चों के जीवन में एक परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करते है। बच्चें विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहीं उनकी शैक्षिक समस्याओं का समाधान होता है। शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में उनकें व्यवसायिक पाठ्यक्रम चुनने में सहायता करता है जिससे उनकें उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सके। वहीं माता–पिता द्वारा अपने बच्चों को पढ़ने–लिखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है, वे उनके लिए उचित लक्ष्य का निर्धारण करते है जिससे उन्हें भविष्य में सफलता प्राप्त हो सके। आज अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों के साथ एक दोस्त के समान रहते है, उनकें साथ समय बिताते है, वें एक साथ खेलते है, बातें करते है और बच्चें भी उनसें सभी बातें बताते है। किशोरियां अपनी समस्याओं को अपनी माताओं को बता कर समाधान करती है। इस तरह से अभिभावक सही परामर्शदाता की तरह उनका मार्गदर्शन करते है और उन्हें सही व गलत में पहचान कराते है।

महिलाओं से सम्बन्धित मौलिक अधिकार :–

भारत के संविधान के अनुसार महिलाओं को सभी मौलिक अधिकार प्राप्त है परन्तु अधिकांश महिलाओं को मौलिक अधिकारों की जानकारी न के बराबर है और जिस कारण वह अपने अधिकारों से वंछित हो जाती है तथा शोषण का शिकार होती है। यें मौलिक अधिकार निम्न है–

- अनुच्छेद–14 कानूनी समानता का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद–15 (3) में जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना।
- अनुच्छेद–16 (1) में लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता।
- अनुच्छेद–19 (1) में समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- अनुच्छेद–21 में स्त्री एवं पुरूषों दोनों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित न करना।
- अनुच्छेद–23–24 स्त्री एवं पुरूषों दोनों को समान रूप से शोषण के विरूद्ध अधिकार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद–25–28 दोनों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- अनुच्छेद–29–30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार।
- अनुच्छेद–32 संवेधानिक उपचारों का अधिकार।
- अनुच्छेद–39 (घ) दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद–42 में महिलाओं को प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था। इस अनु0 को अनुकूल बनाने के लिए 1961 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम पारित किया गया। जिस कारण महिलाओं को 135 दिनों का अवकाश मिलने लगा है।
- अनुच्छेद–51 (क) (ड) के अनुसार भारत में सभी लोग ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो।
- अनुच्छेद–332 (क) में प्रस्तावित 84 वे संविधान संशोधन के जरिये लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था।

महिलाओं से सम्बन्धित कानून :–

भारतीय दण्ड संहिता में महिलाओं के लिए विशेष कानून की व्यवस्था है। जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। किसी भी प्रकार के अपराध के लिए अपराधियों को उचित दण्ड और जुर्माना लगाया जाता है और किसी गम्भीर अपराध के लिए कठोर सजा का भी प्रावधान है। कुछ मुख्य प्रावधान निम्न है–

- दहेज हत्या से जुड़े कानूनी प्रावधान धारा–304(बी) के अन्तर्गत अपराधी को सात साल की कैद और जमानत भी नही मिलती है। आई. पी. सी. की धारा–302 में अपराध सिद्ध होने पर अपराधी को उम्र कैद या फांसी हो सकती है। कई बार ससुराल वाले दहेज के लिए दबाव बनाते है जिसक चलते महिला आत्महत्या कर लेती है तो धारा–306 लगती है जिसमें 10 साल की सजा व जुर्माना लगता है और 498 (ए) के अन्तर्गत कठोर सजा का प्रावधान है।

LBP PUBLICATION

- देश में बलात्कार के लगभग 80% मामलों में अपराधी को सजा नहीं हो पाती है जिसका कारण सबूतों की कमी, पुलिस जांच में कमी आदि, लेकिन नये कानून के अनुसार पीड़िता का बयान ही काफी समझा जाये। बलात्कार में धारा–376 के अन्तर्गत आरोपी को कम से कम सात साल की सजा या 10 वर्ष या आजीवन कारावास भी हो सकता है।
- आई. पी. सी. की धारा–354 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति महिला के साथ जबरदस्ती या हमला या मर्यादा भंग करता है, तो उसे 2 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते है।
- आई. पी. सी. की धारा–509, 294 महिला छेड़खानी से सम्बन्धित है, जिसमें आरोपी को 1 साल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते है।
- कानूनी अधिकार के साथ–साथ संसद द्वारा पास कुछ महिला संरक्षण अधिनियम भी है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। इसप्रकार है–

1. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956
2. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
3. दहेज निषेध अधिनियम, 1961, संशोधित–1986
4. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
5. महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1986
6. सती (निवारण) अधिनियम, 1987
7. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990
8. लिंग परीक्षण तकनीकी एक्ट, 1994
9. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (26.10.2006 से लागू)
10. बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006
11. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013

अध्ययन का औचित्य :–

सदियों से ही पुरूष व स्त्री के मध्य भेदभावपूर्ण व्यवहार होता रहा है जो आज तक चल ही रहा है। वर्तमान में भी अधिकांश महिलाएं/किशोरियां अपने अधिकारों से वंचित है। उनका कई तरह से शोषण होता है और कई गम्भीर अपराधों का शिकार हो जाती है। किशोरियों को अपने लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती है और कभी हिम्मत करके कुछ कहती है तो उन्हें चुप करा दिया जाता है। वह अपने अधिकारों के लिए नहीं बोलती है और सबकुछ चुपचाप सहन करती है। क्यो? इसका क्या कारण है? इन सब सवालों के कारण सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस की गयी है।

किशोरियों के उज्जवल भविष्य के लिए सशक्तिकरण अत्यन्त आवश्यक है। जिससे वे अपने जीवन से सम्बन्धित सभी निर्णय लेने में सक्षम हो सके, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके और सही व गलत की पहचान कर सके। किशोरियों में सशक्तिकरण के स्तर को ऊपर उठाने के लिए परामर्श की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किशोरावस्था के दौरान एक तरफ तो किशोरियों में अनेक परिवर्तन व विकास होते है, इनकें कारण किशोरियों में समायोजन सम्बन्धी अनेक समस्या पैदा हो जाती है और दूसरी तरफ इस अवस्था में किशोरियां यौवन के द्वार पर होती है जिस कारण वह अनेक अपराधों को शिकार होती है जैसे– बलात्कार, अपहरण, यौन शोषण, वेश्यावृत्ति, तस्करी, शारीरिक व मानसिक शोषण आदि। इन सब समस्याओं के कारण किशोरिया अवसाद व तनाव का शिकार हो जाती है तथा इनसें उबरने के लिए किशोरियों को एक अच्छे परामर्शदाता की आवश्यकता होती है जो उनकी समस्याओं को समझ कर समाधान कर सके और उनका सही मार्गदर्शन कर सके।

LBP PUBLICATION

अध्ययन की अनुशंसा :–

- किसी भी कार्य को करने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अतः सर्वप्रथम किशोरियों को शिक्षित करने की आवश्यकता है जिससे वह अपने अधिकारों को पहचान सके और उनका सही उपयोग कर सके।
- समाज में व्याप्त लैंगिग असामनता को खत्म किया जाना चाहिए।
- देश में बढ़ते हुए अपराधों के प्रति सख्त कानून होना चाहिए जिससे अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के अन्दर भय की भावना रहे।
- शिक्षक और अभिभावकों को उचित परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए जिससे किशोरियां अपनी समस्याओं को बताकर उनका उचित समाधान कर सकें तथा किसी भी तरह के अवसाद व तनाव से बच सके।
- विद्यालयों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- महिलाओं/किशोरियों से सम्बन्धित अधिकार, कानून, योजनाएं बनाई तो जाती है किन्तु अधिकांश महिलाओं/किशोरियों में इन सब की जानकारी न के बराबर है अतः शिक्षा, नुक्कड़ नाटक, टीवी, मंच, सेमिनार, अखबार, पत्रिका आदि द्वारा समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है जिससे सभी अवगत हो सके और सशक्तिकरण में बाधक तत्वों को दूर किया जा सके।

निष्कर्ष :–

भारत की महिलाएं राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सरकार भी उनकी योग्यता व क्षमता को पहचानती है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से लेकर बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाओं, योजनाओं, अधिकारों और उनके दीर्घकालीन संभावनाओं को सुधारने के लिए कई पहल की गयी है। आज महिलाएं/किशोरियां महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अपनी कार्य सेवाएं दे रही है। बावजूद इसके किशोरियों के प्रति अपराधों में इजाफा हो रहा है। चाहे घर हो या बाहर अधिकांश किशोरियां स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं। कभी घरेलू हिंसा, कभी समाज की कुरीतियों तथा कभी अपराधिक व्यक्तियों द्वारा किशोरियों का शोषण होता रहता है जो नारी सशक्तिकरण के बाधक तत्व है जिन्हें जड़ से खत्म करना आवश्यक है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि किशोरियों को सशक्तिकरण के साथ–साथ मनोवैज्ञानिक परामर्श की भी आवश्यकता है जिससे वह निडर, सुदृढ, सक्षम् व आत्मनिर्भर बनकर अपना, समाज और देश का सतत विकास कर सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- Gerda J. Unnithan (1986) "Counselling Services in Indian Education Institutions: Needs and Challenges" International journal for the advanced of counseling 9: 197-203
- C., M., Anonuevo (1995) " Women, Education and Empowerment: Pathways towards Autonomy" Report of the International seminar held at UIE, Hamburg
- कौशिक, आशाः "नारी सशक्तिकरणः विमर्श एवं यथार्थ" (2003) पोइन्टर्स प्रकाशन, पृ. 97, जयपुर
- गुप्ता, कमलेश कुमारः "महिला सशक्तिकरण, सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति" (2005) बुक एन्कलेव प्रकाशन, पृ. 23, नई दिल्ली
- सिंघल, विपिन कुमार "महिला सशक्तिकरण एवं महिला अधिकार संरक्षण–एक विश्लेषणात्मक अध्ययन" गाजियाबाद
- मल्होत्रा, ममता "महिला अधिकार और मानव अधिकार" (2011) प्रभात प्रकाशन
- "Guidance and Counselling" (January 2015) Department of Educational Psychology & Foundation of Education
- "Annual Report 2015-16" Ministry of Women and Child Development Government of India www.mygov.in,

IBP PUBLICATION

- www.wcd.nic.in

वेदांगी भट्ट
शोधार्थिनी (शिक्षाशास्त्र) शिक्षा–विभाग, हिमगिरी ज़ी विश्वविद्यालय, देहरादून.

LBP PUBLICATION